भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6141

बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणपत्र योजना

6141. श्री अशोक कुमार रावतः

श्री देवुसिंह चौहानः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (जीएचसीआई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षमता के लिए मानकों की अधिसूचना का व्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को प्रमाणित किया गया है;

(ग) प्रमाण-पत्रों के सत्यापन और उन्हें जारी करने के लिए कितने प्रत्यायित प्रमाणन निकाय अधिसूचित किए गए हैं।

(घ) जीएचसीआई ढांचे के अंतर्गत लक्षित क्षेत्रों और निर्यात बाजारों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय प्रमाणन मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि इस योजना ने भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के लिए निर्यात बाजारों तक पहुंच को कितना सुगम बनाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) देश में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमाणीकरण के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय ढांचा स्थापित करने हेतु, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) प्रकाशित की गई है।

GHCI का उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के माप, निगरानी और प्रमाणन के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करना है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही, राष्ट्रीय ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने पर बल देता है, जिससे 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' की समग्र सफलता में योगदान मिलता है।

(ख) फरवरी 2026 तक, इस योजना के तहत किसी भी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक को प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ग) फरवरी 2026 तक, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत सत्यापन गतिविधियों को संपन्न करने हेतु दो मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों (ACVAs) को पैनलबद्ध किया गया है।

(घ) GHCI का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें अन्य के साथ, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, उर्वरक, इस्पात (स्टील), मोबिलिटी और शिपिंग शामिल हैं, में ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, व्यापार और संभावित निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात बाजारों के संदर्भ में, यह योजना, प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणालियों और मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए उभरते वैश्विक बाजारों तक पहुंच का समर्थन करती है।

(ङ) और (च) जीएचसीआई हरित हाइड्रोजन के लिए प्रमाणन फ्रेमवर्क को अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बेंचमार्कों को साथ जोड़कर वैश्विक निर्यात बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाती है। इन फ्रेमवर्क के तहत उत्सर्जन तीव्रता की सीमाएँ इस प्रकार है:

1. भारत: वेल टू गेट आधार (2 किलोग्राम CO2eq/kg हाइड्रोजन)
2. यूरोपीय संघ: वेल टू व्हील आधार (3.38 किलोग्राम CO2eq/kg हाइड्रोजन)
3. जापान: वेल टू गेट आधार (3.4 किलोग्राम CO2eq/kg हाइड्रोजन)

उपरोक्त विवरणों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा आकलन है कि GHCI फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित ग्रीन हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय उत्सर्जन तीव्रता मानदंडों को पूरा करता है और इसलिए वैश्विक निर्यात बाजारों तक पहुँच बनाने की स्थिति में है।

****